भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 605
जिसका उत्तर 25.07.2024 को दिया जाना है

वाहनों का एक राष्ट्र-एक पंजीकरण

605. श्री गिरिधारी यादवः
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या आधार संख्या के बिना कोई भी वाहन पंजीकृत नहीं किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या आधार कार्ड पूरे देश में मान्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या वाहन मालिकों को पंजीकरण वापस करने और दूसरे राज्य में नया पंजीकरण प्राप्त करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने पर कर की क्षति होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या स्थानांतरणीय नौकरियों वाले कर्मियों के लिए चार राज्यों में भारत सीरीज में पंजीकरण का प्रावधान किया गया है जो पूरे देश में वैध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार का भारत सीरीज के अंतर्गत पंजीकरण के लिए निर्धारित शर्तों को समाप्त कर इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए पंजीकरण को वैकल्पिक बनाने का विचार है; और
(च) यदि हां, तो इसे कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4 में एक या एक से अधिक दस्तावेजों का प्रावधान है, जिन्हें प्रत्येक आवेदक को मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए पते और आयु की सत्यता के बारे में विधिवत स्व-सत्यापित मूल या उसके प्रासंगिक अंशों में प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेजों में आधार कार्ड, मतदाता सूची, जीवन बीमा पॉलिसी, पासपोर्ट, स्कूल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि या मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 28 के खंड (ट) के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज शामिल हैं।

(ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत सूची II की प्रविष्टि संख्या 57 के अनुसार, मोटर वाहनों पर कर संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कार्यक्षेत्र में आता है।

(घ) केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 47 में सरकारी कार्यालयों में कार्यरत नागरिकों तथा चार या अधिक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्यालय वाले निजी संगठनों में कार्यरत नागरिकों के लिए बीएच-श्रृंखला के अंतर्गत मोटर वाहनों के पंजीकरण हेतु आवेदन का प्रावधान है।

(ड.) और (च) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अन्य राज्यों में स्थानांतरण पर नागरिकों के वाहनों के हस्तांतरण को आसान बनाने के उद्देश्य से बीएच-श्रृंखला लागू की गई है।
